कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
पत्रांक 5175 / 14-1 **दिनांक, मेरठ** 27 **मई 2016।**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागपत वन प्रभाग,
बागपत।

विषयः— बागपत वन प्रभाग के अन्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा मेरठ—बागपत मार्ग किमी0 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दायीं ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु जनपद—मेरठ व बागपत की 1.215 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः— 1—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2504/14525/2015/ यूपी—128 दिनांक 24.05.2016।
2—इस कार्यालय का पत्रांक 4922/14—1 दिनांक 11.05.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय को संबोधित एवं आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करें। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अवगत कराया कि निम्न बिन्दुओं का पूर्ण एवं सुसंगत निराकरण नही किया गया है—

1— भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.2016 के बिन्दु—1 की सूचना ऑनलाइन व ऑफलाइन पार्ट—1 में संशोधित नहीं की गयी है।

2— भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.2016 के बिन्दु—2 की सूचना संशोधित नहीं की गयी है। पार्ट—2 पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिससे ऑनलाइन परीक्षण नहीं हो पाया है।

3— भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.2016 के बिन्दु—3 के क्रम में ऑफलाइन प्रपत्र के भाग—3 पर वन संरक्षक द्वारा मूल हस्ताक्षर कर सील अंकित नहीं की गयी है।

4— भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.2016 के बिन्दु— के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयुक्तता संलग्न नहीं की गयी है।

अतः उक्त के क्रम में संशोधित अनुपालन आख्या/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(एस0के0 अवस्थी)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक 2504/14525/2015/यूपी—128 दिनांक 24.05.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0के0 अवस्थी)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2504 /14525/2015/यूपी–128, दिनांक, लखनऊ, मई 24, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषय : बागपत वन प्रभाग के अन्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा मेरठ–बागपत मार्ग किमी0 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दायीं ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु जनपद–मेरठ व बागपत की 1.215 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपके कार्यालय का पत्रांक–4922/14–1, दिनांक 11.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.2016 द्वारा इंगित सूचनाओं का निराकरण कर प्रस्ताव की प्रतियॉ इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं। उक्त के अवलोकन से विदित होता है कि कतिपय बिन्दुओं का पूर्ण एवं सुसंगत निराकरण नहीं किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.16 के बिन्दु–1 की सूचना ऑनलाइन व ऑफलाइन पार्ट–1 में संशोधित नहीं की गयी है।

2– भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.16 के बिन्दु–2 की सूचना संशोधित नहीं की गयी है। ऑनलाइन पार्ट–2 पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिससे ऑनलाइन परीक्षण नहीं हो पा रहा है।

3– भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.16 के बिन्दु–3 के कम में ऑफलाइन प्रपत्र के भाग–3 पर वन संरक्षक द्वारा मूल हस्ताक्षर कर सील अंकित नहीं की गयी है।

4– भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.16 के बिन्दु–9 के कम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयुक्तता संलग्न नहीं की गयी है।

अतः उक्त के कम में संशोधित अनुपालन आख्या/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,
24/5/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2504 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार संशोधित अनुपालन आख्या/अभिलेख वन संरक्षक, मेरठ को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24/5/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।